



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं. 13/22 नूर मोहम्मद बनाम नन्नू खां वगै.

किस्ममुकदमा-धारा 53, 188 अन्तर्गत राज. काश्तगारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.03.22	<p>यह वादपत्र अभिभाषक श्री खेमसिंह गुर्जर ने प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन (SUMMON) जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>	
15.03.2022	<p>पत्रावली वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विद्दो किया जाने बाबत् दावा पेश होने के कारण तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जरिये वकील निवेदन किया कि प्रकरण में सहवन से दावे में त्रुटि होने के कारण वह उक्त दावे को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं इस प्रकरण को इसी स्तर पर विद्दो कराना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत विद्दो किये जाने दावा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>	